

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2012—फाल्गुन 19, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. ई-5-390-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती लवलीन कक्कड़, आयएएस., वि.अ.क.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 1 से 29 फरवरी 2012 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. अब उन्हें स्वीकृत अवकाश अवधि में दिनांक 3 से दिनांक 7 फरवरी 2012 तक एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. ई-5-353-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 21 फरवरी से 1 मार्च 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को दिनांक 12 मार्च से 13 अप्रैल 2012 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. ई-1-61-2012-5-एक.—श्री पी. सी. दुबे, भा.व.से. (1986), मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर की सेवाएं वन विभाग से लेकर उनकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिशन संचालक, राजीव गांधी, जल ग्रहण मिशन एवं समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के पद पर पदस्थापना के लिए सौंपी जाती है।

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. ई-1-61-2012-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2012, जिसके द्वारा श्री पी. सी. दुबे, भावसे (1986), मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर की सेवाएं वन विभाग से लेकर उनकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिशन संचालक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन एवं समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के पद पर पदस्थापना के लिए सौंपी गई है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) श्री अरूण कुमार, भावसे (1985) मुख्य वन संरक्षक (विकास) मुख्यालय, भोपाल की सेवाएं वन विभाग से लेकर उनकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिशन संचालक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन एवं समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के पद पर पदस्थापना के लिए सौंपी जाती है।

क्र. ई-5-406-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2012 द्वारा

दिनांक 28 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है।

(2) श्री डी. के. सामन्तरे द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2012 (रात्रि) से दिनांक 4 मार्च 2012 तक मुख्यालय से बाहर रहेंगे। अतः उक्त अवधि में डॉ. देवराज बिरदी, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री डी. के. सामन्तरे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 21 फरवरी से 7 मार्च 2012 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 फरवरी 2012 तथा 8 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री ए. पी. सिंह, अपर कलेक्टर, डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. सिंह, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा। जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. ई-5-891-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भास्कर लक्षकार, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 फरवरी 2012 द्वारा दिनांक 13 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाकर उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 फरवरी 2012 एवं दिनांक 4 मार्च 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है।

उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि में दिनांक 23 से 29 फरवरी 2012 तक सात दिवसीय एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. ई-5-843-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश की अवधि में श्री अमरपाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमरपाल सिंह, कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. ई-5-536-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. एम. मोहनराव, आयएस., विकअ-सह-आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण,

मध्यप्रदेश, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से दिनांक 28 जनवरी 2012 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृत अवकाश के स्थान पर अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से 22 जनवरी 2012 तक पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

क्र. ई-5-770-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएस., कलेक्टर, जिला भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 9 से 13 जनवरी 2012 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 9 से 16 जनवरी 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेगी।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. ई-5-723-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष सिंह, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-795-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जॉन किंग्सली ए. अर., आयएएस., कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 17 से 25 जनवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. की अवकाश अवधि में श्री आर. बी. प्रजापति, अपर कलेक्टर, शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जॉन किंग्सली ए. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक"।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्र. एफ-5-10-2011-उन्तीस-2.—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	जिला
1.	श्री तानाजी भौसले	अशोकनगर

(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता

फोरम में उपस्थित रहेंगे। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी। सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध रेगे, उपसचिव।

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. एफ-3-61-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-10-2011 के तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) में इन्दौर संभाग से सम्मिलित श्री सकरिया भिडे, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर श्री सकरिया भिडे, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख पढ़ा जाए।

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. एफ-3-81-2011-दो-ए(3).—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-12-2011 में जारी कि गई अधिसूचना में पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित) विषय में भोपाल संभाग के अन्तर्गत डॉ. पवन कुमार अहिरवाल, जिला पंजीयक को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-15/77-1-ह.आ.से., दिनांक 15-2-1978 के अनुसार 10 प्रतिशत अंकों की पात्रता होने के कारण पूर्ण विचार उपरांत इन्हें उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव।

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

राज्य शासन, एतद्वारा नीलम पार्क, जहांगीराबाद, भोपाल एवं यादगार एे शाहजहानी पार्क, भोपाल को दिनांक 21 फरवरी से दिनांक 4 अप्रैल 2012 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. एफ-3-89-बत्तीस-2011.—राज्य शासन द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2011 द्वारा दमोह निवेश क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसकी पूर्वी दिशा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

अधिसूचना में उल्लेखित	संशोधन
ग्राम राजनगरी खुर्द, रैयतवारी, आरक्षित वन खण्ड 105 का आंशिक भाग, दमोह खास, समन्ना रैयतवारी एवं समन्ना माल की पूर्वी सीमा तक.	ग्राम राजनगर खुर्द, राजनगर रैयतवाड़ी, आरक्षित वन खण्ड क्र. 105 का अंश भाग, दमोह खास, समन्ना रैयतवाड़ी एवं समन्ना माल की पूर्वी सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ-2-10-2012-बत्तीस.—राज्य शासन, राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा नवनिर्मित कल्पना नगर रायसेन मार्ग स्थित तरण पुष्कर का नाम “पुरुषोत्तम गौर तरण पुष्कर” नामित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र. 19-29-10-बारह-2.—खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 23-ग की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित मध्यप्रदेश, खनिज

(अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 6 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट जिलों में रेत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण निवारण हेतु निम्नलिखित जांच चौकी की स्थापना करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक	स्थान जहां जांच चौकी स्थापित की जाना है
1.	जिला टीकमगढ़ (एक) घजरई तिगैला से टीकमगढ़ के मध्य (दो) पलेरा से नौगांव के मध्य धसान नदी के पुल पर (तीन) पटोरी तहसील बल्देवगढ़ में (चार) नराई नाका तहसील ओरछा के समीप

इन जांच चौकियों की स्थापना का समस्त प्रशासकीय व्यय मध्यप्रदेश, राज्य खनिज निगम (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) द्वारा वहन किया जाएगा.

No. 19-29-10-XII-2.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 23-C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) read with sub-rule 1 of Rule 6 of Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal mining, transportation and storage) Rule 2006, the State Government, hereby establishes the following check-posts at the District as specified in the table below for preventing illegal mining, transportation and storage of mineral sand under transti:—

TABLE

S. No.	Place where Check-Post to be established
1.	District Tikamgarh (i) In between Ghajrai Tigaila to Tikamgarh (ii) On bridge of Dhasan River in between Palera to Nowgaon. (iii) In Patori, Tehsil Baldevgarh (iv) At Narai Naka near Tehsil Orchha.

All Administrative expenditure for establishing these check-posts shall be borne by Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (an undertaking of Government of Madhya Pradesh).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), (मेरिट क्र. 17).— राज्य शासन, श्री निमिश राजा पुत्र श्री व्ही. एम. राजा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा है. उसकी जन्मतिथि 4 अप्रैल, 1984 है.

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), (मेरिट क्र. 31).— राज्य शासन, श्री शिवराज सिंह गवली पुत्र श्री बाग सिंह गवली को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है. उसकी जन्मतिथि 18 दिसम्बर, 1985 है.

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), (मेरिट क्र. 37).— राज्य शासन, श्री राजकुमार गौड़ पुत्र श्री बालचंद्र गौड़ को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है. उसकी जन्मतिथि 6 फरवरी, 1976 है.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

फा. क्र. 3(बी)इक्कीस-ब(एक).—रिट याचिका क्रमांक 16356/05 इकबाल खान गौरी, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20 जनवरी, 2012 के आलोक में राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से इस विभाग के आदेश क्रमांक 3(बी) 6-2005-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 20 अप्रैल 2005 को निरस्त करते हुए, श्री इकबाल खान गौरी को दिनांक 26 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के पद पर समस्त पारिणामिक लाभों के साथ बहाल करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

फा. क्र. 17(ई)-406-2008-इक्कीस-ब(दो).— दिनांक 31 जनवरी 2009 द्वारा श्री रामेन्द्र पाल सिंह भदौरिया, अधिवक्ता, निवासी 310, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश को तहसील सुरपुरा, जिला भिण्ड में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 12 दिसम्बर 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण, तहसील सुरपुरा, जिला भिण्ड में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2012

फा. क्र. 1(बी)-16-2004-इक्कीस-ब(दो).— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा श्री सुधीर कुलकर्णी पुत्र श्री दत्तात्रय कुलकर्णी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डलेश्वर सत्र खण्ड के खरगौन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, खरगौन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-1-2004-इक्कीस-ब(दो).— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्री अशोक गोइल पुत्र श्री मगनलाल गोइल, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, टीकमगढ़ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-1-2004-इक्कीस-ब(दो).— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्री धनीराम साहू पुत्र श्री एम. पी. साहू, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, टीकमगढ़ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बतायें समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-33-2004-इक्कीस-ब(दो).— राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त 2004 द्वारा नियुक्त श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नसरूल्लागंज के कार्यकाल दिनांक 18 अगस्त 2010 को समाप्त होने के पश्चात् उनके कार्यकाल में दिनांक 19 अगस्त 2010 से 18 अगस्त 2013 तक में तीन वर्ष की अभिवृद्धि करता है.

यह अभिवृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-33-2004-इक्कीस-ब(दो).— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा, श्री बी. एस. ठाकुर पुत्र स्व. श्री बापूसिंह ठाकुर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) आष्टा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-33-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री रवि प्रकाश पारे पुत्र स्व. श्री डी. पी. पारे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीहोर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-33-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री सी. एम. शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीहोर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-33-2004 इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भैरूलाल शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीहोर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-33-2004 इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री ओम प्रकाश मिश्रा पुत्र स्व. श्री लीलाधर मिश्रा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीहोर सत्र खण्ड के सीहोर राजस्व जिले के लिये लोक

अभियोजक, सीहोर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. बी-1-25-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2011 के द्वारा श्री शिवचरण शर्मा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला उज्जैन को नियुक्त किया गया था. श्री शिवचरण शर्मा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला उज्जैन, की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

फा. क्र. 17(ई) 102-80-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुक्रम में श्री जी.एस. अहलुवालिया, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज) की मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 5000/- (रु. पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर दिनांक 21 दिसम्बर 2011 से तीन वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक, कार्यकाल में वृद्धि करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय माँग संख्या 29-2014-न्याया. प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (573) उच्च न्यायालय भारत-01 वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 22-253-2002-आठ.—इस विभाग के सम-संख्यक आदेश दिनांक 12 जनवरी, 2011 को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री अँन्दोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ.-3-168-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-168-2011-बत्तीस, दिनांक 24 दिसम्बर 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित सीहोर विकास योजना, 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल	विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम शेरपुर	81/2 तथा 81/3/1	2.48 हेक्टेयर 15.216 हेक्टेयर में से 10.315 हेक्टेयर.	कृषि	औद्योगिक. शर्तें-1. भूमि की पूर्वी सीमा पर 2 ग्रामों का मेढ़ा स्थित है जिसकी चौड़ाई 18 मीटर है. वर्तमान मेढ़े के मध्य से 9-9 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु आरक्षित रखना होगी. 2. प्रश्नाधीन भूमि में विकास योजना के 2 मार्ग 60 मीटर तथा 36 मीटर दर्शाये गये हैं जिन्हें सार्वजनिक मार्ग के रूप में रखना होगा. 3. भूमि में प्रभावित नाले के दोनों ओर 3 मीटर हरित क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा. 4. भूमि के चारों ओर 15 मीटर चौड़ी हरित पट्टी वृक्षारोपण हेतु छोड़ना होगी. 5. भूमि पर रेल्वे लाइन के अलायन्मेंट हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव रेल्वे विभाग से प्रस्तावित करने होंगे.
	योग . .		<u>10.315</u> हेक्टेयर		

2. उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-10-11-तीन-349.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह मई 2011 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ईसागढ़, जिला अशोकनगर की आम निर्वाचन में सुश्री मीना लखन सोनी, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 मई 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 13 जून 2011 तक सुश्री मीना लखन सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के पास दाखिल करना था किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के पत्र दिनांक 14 जुलाई 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मीना लखन सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मीना लखन सोनी को कारण

बताओ सूचना-पत्र दिनांक 26 जुलाई 2011 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 28 अगस्त 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री मीना लखन सोनी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी सुश्री मीना लखन सोनी को नोटिस दिनांक 28 अगस्त 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 नवम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि “सुश्री मीना लखन सोनी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा न ही विलम्ब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रतिवेदन दिनांक 28 नवम्बर 2011 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. सुश्री मीना लखन सोनी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के संबंध में नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.”

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 फरवरी 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री मीना लखन सोनी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री मीना लखन सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मीना लखन सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत ईसागढ़, जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-86-10-तीन-353.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् महिदपुर, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2009 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 जनवरी 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के माध्यम से दिनांक 6 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) को नोटिस दिनांक 6 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. नोटिस तामिली उपरान्त कलेक्टर, उज्जैन से परिशिष्ट 36 में अनुपूरक जानकारी प्राप्त हुई,

जिसमें सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) द्वारा नियत समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् विलम्ब से व्यय लेखों के संबंध में अपूर्ण जानकारी “सार विवरण नहीं भरा गया है” प्रस्तुत की गई. आयोग के पत्र दिनांक 9 मार्च 2010 द्वारा जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण कर आयोग को अवगत कराने हेतु लिखा गया. जिसके संबंध में कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2010 में अभ्यर्थी सुश्री गीताबाई चौहान को जिला स्तर पर 7 दिवस में व्यय लेखा की कमी को पूर्ण करने बाबत् सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 को दिया गया था, जिसकी तामिली उपरान्त निर्धारित समयावधि में एवं प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2010 तक अभ्यर्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का लेख किया है. आयोग के पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2011 द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदन में उल्लेखित कारणों की विश्वसनीयता के संबंध में कलेक्टर, उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 नवम्बर 2011 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विफल रही हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की विश्वसनीयता का कोई आधार नहीं होने निर्वाचन नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित बताया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 फरवरी 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) को दिनांक 12 जनवरी 2012 को कराई गई. अभ्यर्थी सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 16 जनवरी 2012 आयोग को प्रस्तुत किया है जिसमें लेख है कि अभ्यर्थी ने व्यय लेखा चुनाव पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उज्जैन में प्रस्तुत कर दिया गया है तथा मैं, प्रार्थी एक अशिक्षित घरेलू एवं गरीब महिला हूँ इस कारण मैं, श्रीमान के समक्ष आर्थिक कारणों से उपस्थित होने में पूर्णतया असमर्थ हूँ. अभ्यर्थी ने व्यय लेखा चुनाव पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उज्जैन में प्रस्तुत किये जाने का लेख किया है लेकिन अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री गीताबाई चौहान (पूर्व पार्षद) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, महिदपुर, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. 1557-21-2-12.—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 9 अप्रैल, 2012 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, चम्बल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

प्र. पत्र (1)	प्रश्न-पत्र का विषय (2)	समय (3)
सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल 2012		
1	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
2	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित.),	—तदैव—
3	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
59	विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना—पुलिस, सामान्य प्रशासन भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये,	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
7	दूसरा प्रश्नपत्र—सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
8	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
60	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये	—तदैव—

मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल 2012

9	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से, दोपहर 1.00 बजे तक
---	--	--

(1)	(2)	(3)
10.	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
11	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.	—तदैव—
12	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
13	प्रश्नपत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
14	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
61	विद्युत् संस्थापनायें—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—
15	दूसरा प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
16	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान— उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
17	तीसरा प्रश्नपत्र—बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	—तदैव—
18	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
19	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया—द्वितीय प्रश्नपत्र—पंजीयन विभाग अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
62	लेखा व स्थापना—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—

बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2012

20	तीसरा प्रश्न-पत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना—सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
21	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण—विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
22	प्रश्नपत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये	—तदैव—
23	पहला प्रश्नपत्र प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
24	पुलिस अधिकारियों की “व्यवहारिक परीक्षा”	—तदैव—
63	स्विच गेयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये	—तदैव—
25	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
26	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
27	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
28	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	—तदैव—
29	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये	—तदैव—
30	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
31	चौथा प्रश्नपत्र—सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
32	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
64	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हवाईस एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि/सु) के लिये.	—तदैव—

गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल 2012

33	प्रश्न पत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
35	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
36	प्रश्नपत्र—न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
37	लेखा (पुस्तकों सहित)—उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
38	लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
39	लेखा (पुस्तकों सहित)—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
40	लेखा (पुस्तकों सहित)—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
41	लेखा (पुस्तकों सहित)—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
66	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के)—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
42	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
44	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
67	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—

शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012

45	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्न-पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
47	प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
49	प्रश्नपत्र, द्वितीय—मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
50	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	—तदैव—
65	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया—सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
68	तृतीय प्रश्नपत्र—महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
51	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न-पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
53	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
54	तृतीय प्रश्न पत्र—प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	—तदैव—
55	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
56	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
57	प्रश्नपत्र तृतीय-अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
69	चतुर्थ प्रश्नपत्र-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—

सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल 2012

58	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 10.00 से 12.00 बजे तक.
----	---	---------------------------------

नोट :-

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1/15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 9-4-2012 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
- परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. 422-क-प्र.भू.-अर्जन-अ-82-वर्ष-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी		
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	धर्मश्री	16	2.468	कार्यपालन यंत्री पी. डब्लू.डी.	बम्होरी रेगुवा बाय-पास
		बम्होरी रेगुवा	09	0.64	सागर.	मार्ग.
			योग . .	3.108		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.—बम्होरी रेगुवा बाय-पास मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. 524 क-प्र.भू.-अर्जन-04-अ-82-वर्ष-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी		
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खमकुआ	42	10.47	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	टिकारी जलाशय (स्पिल चैनल)
			योग . .	10.47	संभाग क्र. 2, सागर.	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.—टिकारी जलाशय (स्पिल चैनल) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-03-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	देवला	0.34	कार्यपालन अभियंता (सिविल)- दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि- योजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.	म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. 312-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	बाघेलान सराय	0.085	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना.	पुरवा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 314-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	रामपुर बाघेलान	तपा	0.307	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.	बाणसागर परियोजना के तपा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि/शेष भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. 372-प्रशा.-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	रामपुर बाघेलान	बैरिहा	1.294	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि अर्जन हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 376-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	न्यूरामनगर	मिरगौती	1.486	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 378-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	भरेवा	0.259	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 380-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	देवगवॉ	4.415	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 382-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बिम्हौरा	2.463	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 384-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	पटेहरा	0.944	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 386-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	पाठा	8.813	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 388-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मसमासीकला	1.699	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 390-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	पुरैना	0.115	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले रीवा (म. प्र.). ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 392-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	बरा	4.398	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-1 रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 394-भू-अर्जन-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटा	टिकुरी वृत्त	0.777	कार्यपालन यंत्री, बाण सागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012

पत्र क्र. क-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	रियाना	11.845	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.	रियाना जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. 1901-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	गंधवानी	इंदला होलीबयड़ा	6.779 7.782	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर.	इंदला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मनावर, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 274-वाचक-प्र. क्र.-15-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कुवाली प.ह.नं.119	0.426	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. 125860 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 12 की आर. डी. 5060 मी. से आर. डी. 6070 मी. एवं डिस्ट्रीब्यूटरी 13 की लेफ्ट माईनर 1 के बिच नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर जिला-धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 280-वाचक-प्र. क्र.-16-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	पटवार प.ह.नं.123/34	1.847	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. डी. व्हाय-12 की वितरण नहर एम.एल. 5 की आर. डी. 250 से 2705 मी. तक एवं उपनहरों के बिच नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर जिला-धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 286-वाचक-प्र. क्र.-17-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	सिरसाला प.ह.नं. 23	0.360	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. 138630 मी. पर नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला-धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 292-वाचक-प्र. क्र.-18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	एहमदपुर प.ह.नं. 43	0.216	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. डी. व्हाय 12 वितरण नहर के अंतर्गत आर. डी. 800 से 3600 मी. तक एवं उप नहर एम. एल. 1 के बिच नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला-धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 298-वाचक-प्र. क्र.-19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कुण्डी प.ह.नं. 45	1.140	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर.	औँकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 145675 कि. मी. से निकलने वाली कुण्डी डायरेक्ट मायनर 73 की नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला-धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 304-वाचक-प्र. क्र.-20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	लिम्बी प.ह.नं. 48/29	0.997	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर.	औँकारेश्वर परियोजना की आर. डी. 1274840 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 13 एवं उसकी माइनरों के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला-धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. 308-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
खरगोन	कसरावद	चंदनपुरी	वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि रकबा 1.49 हे.	इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

3. वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक-एफ. नं. 8-47/2003-एफ. सी. दिनांक 20-1-2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-डी-503/451/10-3/2011 भोपाल दिनांक 17-2-2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

क्र. 309-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
खरगोन	कसरावद	जामला	वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि रकबा 1.125 हे.	इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- नोट.—**2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
3. वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक-एफ. नं. 8-47/2003-एफ. सी. दिनांक 20-1-2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-डी-503/451/10-3/2011 भोपाल दिनांक 17-2-2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है।

क्र. 310-भू.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	सैलानी	वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वनभूमि रकबा 0.393 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- नोट.—**2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
3. वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक-एफ. नं. 8-47/2003-एफ. सी. दिनांक 20-1-2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-डी-503/451/10-3/2011 भोपाल दिनांक 17-2-2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2012

क्र. 89-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	डकवार	0.103	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा (म. प्र.)	रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 92-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	जोरी	2.030	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा (म. प्र.)	रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 94-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रतहरा	2.569	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा (म. प्र.)	रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 96-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	गड़रिया	16.896	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा (म. प्र.)	रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 99-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रतहरी	6.627	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा (म. प्र.)	रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 102-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सिलपरी	1.120	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा (म. प्र.)	रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्र. 12-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग	वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
ग्वालियर	चीनौर	कछौआ	14.599	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध
		योग . .	14.599	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 13-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग	वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
ग्वालियर	चीनौर	जुझारपुर	2.979	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध
		योग . .	2.979	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 14-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	पीपरीपुरा	1.036	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध
		योग . .	1.036	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 15-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	कीरतपुरा	4.069	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध
		योग . .	4.069	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 16-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	लधवाया	6.695	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के
		योग . .	6.695	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 17-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	बड़की सराय	1.969	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध
		योग . .	1.969	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 18-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	पुरी	2.217	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध
		योग . .	2.217	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 19-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	फतेहपुर	0.75	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध
		योग . .	0.75	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 20-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	ऐराया	7.303	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.
		योग . .	7.303	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 21-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	दुबहाटांका	8.208	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
		योग . .	8.208	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 25-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	मेहगांव	7.571	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.
		योग . .	7.571	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 26-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	श्यामपुर	0.674	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के
		योग . .	0.674	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 28-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	भीतरी	1.086	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा
		योग . .	1.086	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 29-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	चिटौली	0.825	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा
		योग . .	0.825	नहर संभाग क्र.1, डबरा, ग्वालियर.	एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2012

प्र. क्र. 149-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—खजूरी रानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.179 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

72, 77, 79

0.059

1/1

72, 77, 79

0.089

2/2/1

72, 77, 79

0.018

2/2/1/1

78/1/2

0.107

76

0.267

81, 155/81

0.220

82/1

0.077

82/2

0.089

99/1

0.238

99/2

0.166

100

0.036

101

0.042

102, 119

0.119

2

102, 119

0.261

1

118

0.178

111, 117, 124

0.101

2

113, 114, 126,

127, 154, 157

0.107

123, 123

159/1/2ख/3

126

(1)

(2)

113, 114, 126

127, 154, 157

123, 123

159/1/2ख

126

113, 114, 126,

127, 154, 157, 123, 123

159/1/1/क

126

113, 114, 126

127, 154, 157

123, 123

159/1/1/ख

126

113, 114, 126, 127,

157, 159,

123, 126

154/2/4/1

123

113, 114, 126, 127,

154, 157,

123, 123

159/2/2ख/2

126

113, 114, 126, 127,

154, 157

123, 123

159/2/4/2

126

योग . . . 3.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, भोपाल/बैरसिया/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 6 फरवरी 2012

प्र. क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की

अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—ऐंचदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.668 हेक्टेयर

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने

वाला अनुमानित

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

		452/2	0.120
		452/3	0.025
		452/5	0.165
		452/4	0.120
		450/2/2	0.025
		450/2/3	0.140
		451	0.025
		445/2	0.190
		445/3/2	0.100
		445/1	0.100
		348	0.050
		349/2	0.330
		349/3	0.180
		354/4	0.220
		356	0.250
		357/2	0.150
		373/2	0.160
		373/1	0.130
		372	0.220
		371	0.305
		370	0.020
		366	0.050
		369	0.140
		368	0.100
		350/1	0.170
		350/2	0.180
		398	0.260
		396/5	0.040
		396/1	0.050
		396/4	0.160
		396/2	0.020
		393	0.090
		407	0.300
		392/2	0.020
		392/1	0.080
		408	0.010
		409	0.010
		410	0.380
		589/5	0.105
		589/4	0.180
		589/3	0.020
		625	0.080
		639	0.440
		638/5	0.130
		638/4	0.060

(1)	(2)	यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.	
638/2	0.130		
638/3	0.100		
638/1	0.040	प्र. क्र. 16-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—	
637/2	0.260		
637/1	0.170		
648/1	0.090		
648/2	0.130		
649/1	0.090		
649/2	0.090		
650	0.280		
686/1	0.300		
686/2	0.010		
688/1	0.080		
688/2	0.030		
688/3	0.020		
702	0.200		
699/1	0.300		
699/2	0.200		
634	0.220		
690	0.020		
630/1	0.220		
630/2	0.280		
545/2/1/1	0.140		
545/2/1/2	0.060		
550	0.072		
498/2	0.023		
627/2/4	0.080		
60/2	0.575		
60/1/1	0.370		
60/1/2	0.052		
60/3/1	0.153		
95	0.043		
569	0.017		
447/1/2	0.150		
447/1/1	0.260		
447/2/1	0.060		
267/1	0.100		
	योग . . 16.668		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.		सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
		575	0.050
		614/1	0.063
		576	0.200
		579	0.180
		577	0.150
		585/1	0.020
		588	0.250
		589	0.120
		600	0.118
		602/2	0.166
		603	0.198
		330/1	0.040
		329	0.030
		328	0.020
		327	0.020
		326	0.020
		325	0.020
		324	0.030
		323	0.040
		319	0.040
		317/1	0.040
		316	0.080
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन		315	0.023
		314/1	0.050

(1)	(2)	(ख) तहसील—नटेरन	
314/2	0.030	(ग) ग्राम—सोमवारा	
314/3	0.030	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.001 हेक्टेयर	
314/4क	0.010		
314/4ख	0.010	सर्वे नं.	अर्जित किये जाने
298/2	0.040		वाला अनुमानित
299	0.500		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
300	0.090	(1)	(2)
574/2	0.140		
602/1	0.020	75	0.410
318	0.011	77	0.057
290/2/2	0.325	78	0.057
275	0.310	79	0.230
481	0.165	80	0.187
483	0.144	82	0.388
484	0.180	83	0.115
521	0.200	84	0.158
269	0.004	109	0.079
332	0.230	111/2	0.160
487	0.441	111/3	0.160
574/1/1	0.285		
287/2	0.062		
485/2	0.294		
559/2	0.090		
276	0.109		
282	0.250		
			योग . . 2.001

योग . . 5.938

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद/नटेरन/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—कलनाखेड़ी	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.592 हेक्टेयर	16	0.097
सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
77	0.108	76/3 0.080
78	0.216	76/2 0.146
128/1	0.080	77 0.016
128/2	0.142	78 0.324
128/3	0.080	23 0.799
132	0.297	9/1 0.143
150	0.394	9/2 0.100
76/2/4	0.120	86 0.021
76/2/1	0.155	योग . . 2.065
योग . . 1.592		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद/नटेरन/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—शाहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.065 हेक्टेयर

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.145
11	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद/नटेरन/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—महोली बासोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.829 हेक्टेयर

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/2	0.160
29/1/2	0.190
292	0.091
291	0.291
288	0.200
285/2	0.150

(1)	(2)	(2)
283	0.070	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
282/1	0.209	
282/2	0.050	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.
277	0.040	
278	0.150	
311	0.189	
314/1	0.090	
314/2	0.050	
315/1	0.090	
315/2	0.090	
323/2	0.160	
323/1	0.027	
323/3/1	0.070	
323/4	0.105	
325	0.230	
324	0.070	
333	0.200	
334	0.393	
336/1	0.081	
336/2	0.060	
336/3	0.081	
336/4	0.097	
340/1	0.200	
340/2	0.100	
350/1	0.156	
65/1	0.160	
65/2	0.160	
65/3	0.160	
65/4	0.190	
65/5/1	0.180	
65/5/2	0.600	
69/1/2	0.120	
69/1/1	0.110	
69/2	0.220	
69/3/1	0.050	
69/3/2	0.022	
90/1	0.570	
86/1	0.050	
86/3	0.240	
86/4	0.290	
86/2/2	0.300	
86/2/1	0.050	
138/1	0.110	
87/1	0.021	
309/2/2	0.086	
		प्र. क्र. 29-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—विदिशा
		(ख) तहसील—नटेरन
		(ग) ग्राम—बमूरिया
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.087 हेक्टेयर
		सर्वे नं.
		अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		(1)
		(2)
		35
		0.151
		37/1
		0.314
		37/3
		0.209
		37/2
		0.209
		38/1
		0.183
		39
		0.059
		43
		0.016
		44/1
		0.275
		44/2
		0.080
		66
		0.124
		53
		0.118
		64
		0.113
		54
		0.016
		63/2
		0.043
		55/1
		0.081
		129/1
		0.015
		योग . . . 7.829

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.263 हेक्टेयर	
129/2	0.015	सर्वे नं.	अर्जित किये जाने
127/1	0.030		वाला अनुमानित
127/2	0.030		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
124/1	0.010	(1)	(2)
124/2	0.010		
124/3	0.010	3/1	0.438
125/1	0.010	3/5	0.147
125/2	0.010	31/1	0.350
125/3	0.020	31/5	0.055
86/2	0.297	5/2	0.468
104	0.075	7/1	0.279
108/1	0.120	21/1	0.405
108/2	0.120	10/2	0.243
338/1	0.324	11	0.036
		18/3	0.270
		95	0.135
	योग . . 3.087	96/1	0.136
		103	0.270
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.		101	0.702
		102	0.252
		98	0.171
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद/नटेरन/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.		99	0.252
		176/1	0.100
		176/2	0.072
		178/1	0.148
		178/2	0.149
प्र. क्र. 34-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—		177/2	0.090
		181/4	0.297
		189	0.270
		193	0.540
		194	0.180
		2/1	0.148
		2/2	0.260
		2/3	0.060
		32/1	0.180
		32/2	0.180
		32/3	0.180
(1) भूमि का विवरण—		35	0.360
		53	0.200
(क) जिला—विदिशा		182/1	0.100
(ख) तहसील—नटेरन		33	0.120
(ग) ग्राम—सिरसी		182/2	0.020
			योग . . 8.263

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—पीपरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.977 हेक्टेयर

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/1	0.393
5/2	0.283
5/3	0.080
48	0.927
49	1.125
47	0.081
7/1	0.277
35/2	0.522
7/2ख	0.209
25	0.216
26	0.096
26	0.048
37/1	0.157
37/2	0.230
61	0.099
1/2	0.234
योग	4.977

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 38-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—नगतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.844 हेक्टेयर

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
242	0.689
259/1	0.207
240/3	0.135
240/2	0.189
262/1	0.496
263/2	0.226
269/2	0.144
271/1	0.180
273	0.342
274/4	0.126
274/5	0.099
274/6	0.081
274/3	0.136
279/2	0.207
271/2	0.177
271/3	0.048
252	0.360

(1)	(2)	(1)	(2)
250/5	0.071	776	0.010
243/1	0.261	801	0.155
243/2/1	0.105	805	0.140
243/2/2	0.156	809	0.110
239	0.576	808	0.175
186/1	0.423	1087	0.050
236/1	0.297	1089	0.140
232/5	0.480	1137	0.180
255	0.012	1128	0.100
232/4	0.240	817	0.140
261	0.045	1142/1	0.080
274/7	0.012	1143	0.240
276/2	0.324	1145	0.340
	<u>योग . . 6.844</u>	1146	0.230
		1157/3	0.095
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—बाह मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.		1194	0.070
		1196	0.030
		1209	0.105
		1210	0.115
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.		1216	0.265
		1217	0.065
		1220	0.350
		1222	0.275
		380	0.205
प्र. क्र. 40-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजना के लिये आवश्यकता है :—		393/4	0.052
		372/1	0.073
		627/1	0.230
		585	0.208
		618	0.342
		612	0.194
		604	0.295
		860	0.188
		877	0.018
		878	0.103
(1) भूमि का विवरण—		885	0.197
(क) जिला—विदिशा		886	0.216
(ख) तहसील—शमशाबाद		749	0.150
(ग) ग्राम—पिपलधार		765	0.140
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.152 हेक्टेयर		750	0.380
		769	0.040
सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	607/1/1	0.095
		607/1/2	0.095
(1)	(2)	607/2	0.190
774/1	0.265	1088/1क	0.200

(1)	(2)	(1)	(2)
1088/1ख	0.200	1185/1ज	0.080
1088/1ज	0.200	859/1	0.059
1088/1ण	0.200	859/2	0.058
1088/1ग	0.200	865/1ख	0.051
1091/1	0.158	865/1ग	0.080
1091/2	0.157	865/2	0.050
1132/1	0.100	865/3/1	0.080
1132/2	0.125	861/3/2	0.050
1130/1	0.030	874/2	0.220
1127/5	0.100	881/1	0.117
1127/3क	0.080	883/2	0.032
1144/1/2	0.045	884/1	0.249
1144/2	0.045		
1144/3	0.095		योग . . 14.152
1195/1/1	0.040	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
1195/1/2	0.035	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.
1198/1	0.040		
1208/2	0.045		
1208/1	0.045		
1218/2	0.133		
1218/3	0.132		
382/3	0.339		
383/1	0.161		
384/1	0.229		
373/2	0.073		
371/2	0.300		
371/3	0.200		
371/1	0.032		
370/2/2	0.100		
381/1	0.055		
631/2/1	0.028		
631/1/1	0.080		
628/1/1	0.288		
628/1/2	0.288		
616/3	0.489		
613/1	0.144		
613/2	0.144		
605/2	0.216		
803/1/1क	0.020		
803/1ख	0.020		
803/3ख	0.020		
803/1/2क	0.035		
1185/1क	0.015		
1185/1छ	0.209		
		प्र. क्र. 41-ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
		अनुसूची	
		(1) भूमि का वर्णन—	
		(क) जिला—विदिशा	
		(ख) तहसील—नटेरन	
		(ग) ग्राम—सेऊ	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.326 हेक्टेयर	
		सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
		851/3	0.571

(1)	(2)	(1)	(2)
744	0.270	759	0.256
745	0.226	679/1	0.456
746/3	0.108	679/2	0.040
725/1	0.031	677/1/2	0.240
725/2	0.031	659	0.320
723	0.603	660/2	0.187
720/1	0.015	660/3	0.187
720/3/1/1	0.283	660/1	0.010
720/2/1/3	0.095	657/1	0.144
716	0.476	656/2	0.080
701/1	0.083	694/1	0.136
701/2	0.083	694/2	0.136
703	0.181	638/1	0.240
704/1	0.068	613/1	0.290
704/2	0.068	613/2	0.110
704/3	0.068	854/1	0.209
819	0.196	854/2	0.209
818/1/2/1	0.189	854/4	0.209
818/1/2/2	0.189	854/3	0.299
804/1	0.132	925/1	0.237
804/2	0.132	924/1	0.055
806	0.090	924/2	0.055
803	0.264	922/2	0.274
802	0.288	922/1	0.335
801	0.068	890	0.546
799/1	0.124	877/1	0.265
799/2	0.124	877/2	0.265
798	0.112	876/1/1	0.095
794	0.136	876/1/3	0.095
795/1	0.232	876/2	0.095
795/2	0.232	873	0.118
796/2/2	0.088	874	0.625
786/3	0.104	871/1/1	0.282
786/2/1	0.250	871/2	0.281
786/2/2	0.250	868/1	0.387
786/1	0.029	868/2	0.194
847	0.280	868/3	0.194
849/2	0.240	864/1	0.132
849/3/2	0.240	864/2क	0.132
840	0.344	864/2ख	0.132
838	0.416	863/1ख	0.015
753/4	0.115	886/2/5	0.134
753/1	0.115	886/2/4	0.135
758/1क	0.144	885/1/3	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
754	0.120		चुनियाखोह
705	0.317		
898/2/2	0.189	153/1	0.139
899/2	0.634		
905/1	0.348		योग . . 0.139
905/2	0.173		
906/2	0.347		कांकरखेड़ी
906/3	0.280		
900	0.040	13	0.081
867	0.095	16	0.025
87	0.540		
	योग . . 20.326	19	0.253
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.		45	0.092
		193/1	0.760
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद/नटेरन/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.		193/2	0.126
		193/3	0.165
		193/4	0.150
		193/5	0.114
प्र. क्र. 3-अ-82-10-11-204.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		193/6	0.145
		193/7	0.200
		211/1	0.165
		211/2	0.178
		211/3	0.300
अनुसूची		213	1.090
(1) भूमि का वर्णन—			योग . . 3.844
(क) जिला—विदिशा			
(ख) तहसील—सिरोंज			
(ग) ग्राम—इमलानी, चुनियाखोह, कांकरखेड़ी			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.844 हेक्टेयर			
खसरा नं	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
इमलानी			
222	0.078	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—ग्राम इमलानी, चुनियाखोह एवं कांकरखेड़ी में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इमलानी से ऐंचदा मार्ग निर्माण हेतु.	
228	0.265	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में किया जा सकता है.	
	योग . . 0.343		

विदिशा, दिनांक 13 फरवरी 2012		(1)	(2)
प्र. क्र. 2-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		176/1	0.072
		176/2	0.043
		176/3/2	0.128
		176/3/3	0.160
		169/1ख/2	0.057
		178/3	0.148
अनुसूची		180/2/1	0.100
		180/2/2	0.216
(1) भूमि का विवरण—		178/1/1	0.010
(क) जिला—विदिशा		181/1	0.101
(ख) तहसील—नटेरन		181/2	0.249
(ग) ग्राम—रायखेड़ी		181/5	0.025
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.237 हेक्टेयर.		181/6	0.045
सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	181/7	0.080
(1)	(2)	181/4	0.110
		181/3	0.110
266	0.691	188/1/2	0.086
267	0.432	188/2/1	0.174
264	0.201	188/2/2	0.690
268	0.072	130/2	0.055
259	0.288	130/1	0.055
258	0.360	132	0.126
256	0.216		योग . . . 7.237
257	0.144		
235	0.360	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
236	0.129		
229	0.115	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.
238	0.100		
239	0.028		
181	0.720		
191/1	0.043		
191/2	0.020		
191/3	0.018		
237	0.388		
187	0.072		

प्र. क्र. 20-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—रायखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.292 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
MINOR-8	
109	0.158
108	0.110
105	0.110
140	0.072
104 मि.	0.079
141	0.134
144	0.166
136/2	0.158
136/3	0.158
147	0.150
153	0.356
131/1	0.055
योग . . . <u>2.292</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,

सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—कस्बाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.624 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.166
4/1	0.095
4/2	0.341
12	0.404
10/2	0.105
10/3	0.331
84/1	0.101
83/1	0.063
84/2	0.042
93/2	0.317
93/3	0.073
83/3	0.777
85	0.143
94/1/1	0.082
94/3/2	0.063
94/3/4	0.021
योग . . . <u>2.624</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बाह मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन-05-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—नैनपुर
(ग) ग्राम—पुतरा, प.ह.नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
57/1	0.04
56/2	0.02
53/1	0.04
52/2	0.01
51/1	0.03
50/1	0.04
42	0.01
326/2	0.01
326/1	0.02
43/2	0.08
43/1	0.03
योग . .	<u>0.33</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर ब्राडगेज हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-06-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—नैनपुर
(ग) ग्राम—लालपुर, प.ह.नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.76 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
369/1	0.12
371/1	0.08
379/1	0.08
378/4	0.02
378/6	0.08
372/8	0.03
377/1	0.17
376/1	0.08
326/1	0.08
327/1	0.02
कुल योग . .	<u>0.76</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोंदिया जबलपुर ब्राडगेज हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागरं परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. 316-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—सगौनी, पटवारी हल्का नं. 68
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.200 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
243/3/1	0.152
243/4	0.048
कुल अशासकीय भूमि योग	0.200

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर की सगौनी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. 366-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा,

यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—खम्हरिया प्यासियान
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.86 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

निजी खाता

67/1	0.40
67/2	0.37
68	0.16
69	0.39
70	0.32
71	0.17
72	0.05
कुल अर्जित रकबा योग	1.86

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 368-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान	(1)	(2)
(ग) ग्राम—पटरहाई		
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.065 हेक्टर.	955	0.007
	956	0.101
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
	957	0.015
	958	0.041
	959	0.015
	973	0.012
176	0.045	972
177/2 ख	0.020	कुल अर्जित रकबा योग . . . 0.330
कुल अर्जित रकबा योग . . .	0.065	

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. 370-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—चोरमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.330 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	निजी खाता
954	0.019

क्र. 404-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पडरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.860 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
172	0.160
492	0.120
734/1ख	0.008

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.282 हेक्टेयर.	
766	0.004	खसरा नम्बर	रकबा
1437/1	0.015		(हे. में)
1764	0.026	48/1	0.282
1773	0.112		योग . . . 0.282
2117	0.067		
2119	0.156		
2120	0.192		
	योग . . . 0.860		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 14 फरवरी 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2008-09-भू-अर्जन-1235.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—रगड़गांव, पटवारी हल्का नंबर 32/124

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रगड़गांव लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. 107-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर

(ग) ग्राम—कोड़रिया, कुसेड़ी क्रमांक 36

(घ) . लगभग क्षेत्रफल—1.39 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82	0.15
83	0.06
92	0.12
104	0.15
110	0.12
113	0.06
114	0.12
115	0.12
121	0.06
124	0.06
125	0.04
126	0.06
130	0.03
131	0.10
137	0.04
138	0.10
योग . .	<u>1.39</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पहुंच मार्ग का निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुक्षी, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 268-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—निसरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—446.17 वर्गमीटर.

सर्वे नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
261 पैकी	300.00
251/1	109.00
259/1	9.30
158/1/1/1/1	27.87
योग . .	<u>446.17</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब प्रभावित होने से.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग न.घा.वि.प्रा. मानजोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 28 फरवरी 2012

क्र. 1952-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर

(ग) ग्राम—भैंसोला	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.541 हेक्टर.		
सर्वे नम्बर	रकबा	
	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
200	0.695	1238/2
206	0.316	1154/1
208	0.189	1238/1
212	0.417	1240
210	0.240	1242/2
213	0.379	1241
214	1.382	1152
209	0.304	1153/3
37	0.075	1154/2/1
216	0.544	1233/3/2
		1229/2
		1138/1
		1139
		1140
		1154/3
		1155
		1158
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—आम्बापाडा तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.		1012/3
		1012/5
		1157/3
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय, अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		1112/7
		1157/7
		1012/1
		1012/6
		1157/6
		1157/4
क्र. 1964-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		1013/2/1
		1013/1
		1016
		1034/2
		1035
		1036
		1042/4
		1031
(1) भूमि का वर्णन—		1032
(क) जिला—धार		1033
(ख) तहसील—बदनावर		901
(ग) ग्राम—बदनावर		902/2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.094 हेक्टर.		906
सर्वे नम्बर	रकबा	902/1
	(हेक्टर में)	826/1
(1)	(2)	822/1
		826/2
1272/1	0.168	826/3

(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बागेडी तालाब की लघु नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
825	0.067		
824	0.029		
407	0.040	(3)	भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय, अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
408/1	0.016		
406/1	0.060		
416	0.022		
418	0.072		
415/1	0.060		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
415/2	0.060		बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
421/1	0.022		
422	0.136		
428	0.076		कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
655/1	0.064		
655/2	0.020		
653	0.088		दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012
669/3	0.134		
665/1	0.098		प. क्र. क भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2012-829.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
665/2	0.072		
676/1	0.052		
676/2	0.044		
545/1/1	0.023		
545/2/1			
561/2	0.052		
525	0.068		अनुसूची
526	0.013		
561/1	0.018	(1)	भूमि का वर्णन—
530/1/2	0.035		(क) जिला—दमोह
528	0.025		(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा
530/1/1	0.039		(ग) नगर/ग्राम—पिड़रई (पांजी)
501	0.016		(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.36 हे.
545/1/3	0.013		
545/2/3			
515	0.050		खसरा नं.
279/1	0.021		(1)
279/3	0.036		(2)
288	0.019		210/1 में से
289	0.070		232/1 में से
542/1	0.035		195 में से
543	0.032		204 में से
530/2	0.065		186 में से
			185 में से
			190 में से
			272 में से
			267 में से
			287 में से
			रकबा (हे. में)
			(1)
			(2)
			0.02
			0.02
			0.03
			0.04
			0.03
			0.06
			0.04
			0.04
			0.03
			0.03
			0.05
योग :	4.094		
			योग : 0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—अजीतपुर खमरिया पहुंच मार्ग हेतु.	(1)	(2)
	420 में से	0.04
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.	421 में से	0.13
	423 में से	0.39
	424 में से	0.35
	288/4 में से	0.10
	288/5 में से	0.10
	288/1 में से	0.12
	289/1 में से	0.35

दमोह, दिनांक 28 फरवरी 2012

प्र. क्र. 15 अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

योग : 5.57

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—हटा

(ग) नगर/ग्राम—विनती

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.57 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
318	0.09
326	0.96
329/2	0.80
327/1 में से	0.41
327/2	0.05
328/1 में से	0.20
416	0.67
417 में से	0.53
418/2 में से	0.08
419 में से	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—विनती जलाशय योजना निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्र. 1421-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—अमरवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—नदौरी, प.ह.नं. 35, ब.नं. 145,
 रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.654 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
141/5	0.062
171/1, 171/2	0.065
148, 150/2, 151	0.030
136/1	0.010
14,15	0.150
22	0.045
21	0.150
73,131,132,104/2	0.270
178, 183/3	0.030
181	0.120
133, 135	0.195
138, 147/1	0.065
172/1, 203/6	0.060
139/1	0.022
139/2, 140	0.170
201/4	0.045
201/7	0.045
201/1	0.045
201/5	0.075
योग :	<u>1.654</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1422-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—अमरवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—चिमउवा, प.ह.नं. 35, ब.नं. 88,
 रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.829 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
36	0.120
38	0.075
40	0.150
23/9	1.000
13/5	0.454
19	0.030
योग :	<u>1.829</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध / नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	(1) 257/2, 258/2 257/1, 258/1 261/3, 262/1, 263/3 263/4 ,263/5 249/3, 249/4	(2) 0.120 0.060 0.080 0.035
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		योग : <u>0.820</u>

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1423-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—मन्दानगढ़, प.ह.नं. 38, ब.नं. 223, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.820 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
260/3,261/2	0.210
260/4	0.150
261/4, 262/2, 263/10	0.120
263/6, 263/9,	0.045

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1424-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—कोल्हिया, प.ह.नं. 24, ब.नं. 38, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.785 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्र पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
248/5	0.035
109/2	0.030
109/1	0.030
110/9, 111/1	0.075
110/6,112	0.060
110/8	0.088
98,105/3	0.090
96/2,97/2,99/2	0.105
248/15	0.028
248/1	0.060
238/2	0.015
248/18	0.022
219/3,238/1	0.020
248/16	0.025
110/7,111/2,115/7	0.050
239	0.010
240	0.022
241	0.010
242	0.010
योग : <u>0.785</u>	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1425-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—भजिया, प.ह.नं. 38, ब.नं. 215, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.673 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्र पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
289/3, 289/4	0.090
288, 289/1	0.075
287/1, 287/2	0.030
284/4, 286/4	0.090
283/9, 10	0.150
281/1, 281/2	0.238

योग : 0.673

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 27 फरवरी 2012

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 692-भू-अर्जन-2012-माही-रा.प्र.क्रं.25-अ-82-10-11.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3785-भू-अर्जन-2011-माही-झाबुआ, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 द्वारा ग्राम करडावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक के पृष्ठ क्रमांक 3815, दिनांक 28 अक्टूबर 2011 पर तथा हिन्दी समाचार पत्र पत्रिका में दिनांक 22 अक्टूबर 2011 तथा प्रसारण में दिनांक 22 अक्टूबर 2011 को जी नम्बर 20837/11 द्वारा संशोधित उद्घोषणा प्रकाशित की गई थी। प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

सूची

स. क्र.	सर्वे नम्बर	रकबा (हे.में)	
		पूर्व प्रकाशित	संशोधित प्रकाशन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	252/2	0.07	विलोपित
2	1662/3	0.06	विलोपित
3	312/1 पैकी	0.30	0.29
4	250/2	-	0.07
5	1662/2	-	0.06
योग.		10.20	10.29

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

झाबुआ, दिनांक 29 फरवरी 2012

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 728-भू-अर्जन-2012-माही-रा.प्र.क्रं.22/अ-82-10-11.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1347-भू-अर्जन-2010-झाबुआ, दिनांक 3 मई 2011 द्वारा ग्राम पंथबोराली, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 2.84 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक के पृष्ठ क्रमांक 1767, दिनांक 20 मई 2011 पर तथा हिन्दी समाचार पत्र चौथा संसार में दिनांक 13 मई 2011 को जी नम्बर 13001/11 द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जानी है:—

सूची

स. क्र.	सर्वे नम्बर	रकबा (हे.में)	
		पूर्व प्रकाशित	संशोधित प्रकाशन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	638	0.05	0.08
2	639	0.06	0.08
3	640	0.06	0.08
4	641	0.07	0.08
5	642	0.19	0.20
6	643	0.07	0.10
7	644	0.01	विलोपित
8	651	0.10	0.08
9	652	0.01	विलोपित
10	653	0.09	0.08
11	654	0.01	0.04
12	655	0.04	0.06
13	776	0.09	0.01
14	777	0.13	0.11
15	786	0.22	0.25
16	788	0.16	0.11
17	789	0.06	0.02
18	790	0.02	विलोपित
19	807	0.08	0.14
20	1080/2	0.17	0.21
21	1080/3	0.21	0.23
22	1080/4	0.03	विलोपित

(1)	(2)	(3)	(4)
23	1080/5	0.21	0.25
24	1080/6	0.22	0.25
25	1083	0.45	0.35
26	1093	0.03	विलोपित
27	491	-	0.01
28	637	-	0.15
29	672	-	0.01
30	778	-	0.15
31	779	-	0.04
32	805	-	0.10
33	806	-	0.10
योग . .		2.84	3.37

क्र. 730-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) नगर/ग्राम—बावडी

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
398	0.02
योग . .	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की अजब बोराली माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बावडी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.02 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 732-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—लालपुरा

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
309/1	0.20
योग . .	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की मठमठ शाखा नहर के निर्माण होने से ग्राम लालपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 0.20 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 733-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) नगर/ग्राम—करनगढ़

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1080	0.35
1079	0.10
1078	0.05
964	0.20
937	0.20
941	0.09
942	0.07
940	0.02
897	0.05
896	0.02
895	0.09
875	0.20
874	0.20
740	0.25
506	0.13
507	0.15
499	0.18
483	0.18
328	0.05
327	0.10
योग . .	<u>2.68</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम करनगढ़ की निजी भूमि का कुल रकबा 2.68 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 736-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बोरपाड़ा

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
325	0.95
301	0.07
299/3	0.10
282	0.20
283/1	0.04
283/2	0.25
236/1	0.20
236/2	0.10
230	0.20
231	0.02
232	0.28
233	0.08
234	0.18

योग . . 2.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बोरपाड़ा की निजी भूमि का कुल रकबा 2.67 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 738-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—मोईचारणी

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
275	0.26
300	0.12
336	0.30
354	0.12
345	0.26
344	0.30
342	0.48
82	0.25
योग . .	<u>2.09</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम मोईचारणी की निजी भूमि का कुल रकबा 2.09 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 740-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—गोदडिया

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
962	0.12
964	0.35
1016/1	0.04
1016/2	0.04
1016/3	0.04
1016/4	0.05
1016/5	0.02
1018/1	0.08
1018/2	0.08
1018/3	0.01
1015	0.08
1022	0.07
1023	0.04
1024	0.04
1025	0.04
1026	0.04
1027	0.08
1033	0.14
1035	0.21
1036/1	0.14
1036/2	0.01
1097	0.12
1098	0.07
1099	0.01
1102	0.06
1103	0.13
1104	0.05
1105	0.20
1106	0.08
1108	0.19

(1)	(2)
1109	0.07
1114/2	0.04
1114/3	0.07
योग . . . 2.81	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम गोदडिया की निजी भूमि का कुल रकबा 2.81 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 742-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बोरपाड़ा

निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
302	0.15
323	0.40
311	0.10
310/2	0.18
310/1	0.05
204	0.30
207	0.22
208	0.06
66	0.32
65	0.05
64	0.02
योग . . . 1.85	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की करनगढ़ सब-माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बोरपाड़ा की निजी भूमि का कुल रकबा 1.85 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 333-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—रनगुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.067 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
11/2	0.020
11/3	0.345
13/1	0.810
15/3	0.235
16	0.245
17	0.240
18	0.300
20	0.005

(1)	(2)	(ग) ग्राम—नागझिरी	(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.553 हेक्टर.
21/1	0.222		
21/2	0.110	खसरा नम्बर	रकबा
21/3	0.025		(हेक्टर में)
21/4	0.020	(1)	(2)
31	0.270	46	0.150
35	1.135	47	0.470
39/2	0.910	48	0.035
40/2	-	51	0.280
41/3	0.700	52	0.445
42/1	0.575	53	0.024
43	0.130	54/1	0.245
42/2	0.040	54/2	0.095
44/1	0.125	65	0.690
44/2	0.065	71	0.285
45	-	72	0.024
44/3	0.350	73	0.340
44/4	0.160	76	0.095
46/1	0.010	78	0.005
98/2	0.020	224	0.200
कुल रकबा योग . .	<u>7.067</u>	225	0.340
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औँकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		227	0.025
		320	0.005
		322	0.700
		323	0.160
		324	0.020
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		325/1	0.140
		334	0.580
		337	0.835
		338	0.075
		339	0.005
क्र. 334-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		353	0.200
		354/1	0.825
		357	1.000
		358	0.175
		359	0.230
		367	0.010
		368	0.180
		369	0.640
(1) भूमि का वर्णन—		370	0.200
(क) जिला—खरगोन		371	0.825
(ख) तहसील—महेश्वर		कुल रकबा योग . .	<u>10.553</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औँकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	(1)	(2)
	65/4	0.300
	87/2	0.075
	88/1	0.780
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	88/2	0.800
	88/3	0.160
	88/4	0.400
	116	0.310
	117	0.220
	118	0.230
	120	0.020
	कुल रकबा योग . . . 6.373	

क्र. 335-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—होदड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.373 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
34	0.250
36	0.300
37	0.130
38/2	0.180
39	0.010
40	0.015
43	0.060
44	0.028
45/1	0.100
45/2/1	0.150
45/2/2	0.160
46	0.210
47	0.080
48	0.350
62	0.225
65/2	0.390
65/3	0.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औँकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 336-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—चिनगुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.605 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.620
2/2	0.520
3	0.170

(1)	(2)	(1)	(2)
3/170	0.060	59/3	0.650
7/1	0.155	59/4	0.350
7/2	0.360	59/5	0.460
9/1	0.660	61/3/2	0.270
9/2	0.030	61/3/3	0.350
28/1	0.030	61/3/5	0.200
कुल रकबा योग . .	<u>2.605</u>	61/4	1.290
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		62/1	-
		62/2/1	0.350
		62/2/2	0.490
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		62/3/2	0.060
		62/3/3	0.210
		64/2	0.230
		65, 66	0.220
क्र. 337-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		81	1.180
		82	0.750
		83	0.035
		84, 85	0.090
		86	0.100
		87	0.060
		88	0.850
		90/1	0.800
(1) भूमि का वर्णन—		91	0.060
(क) जिला—खरगोन		93	0.570
(ख) तहसील—महेश्वर		95/1	0.050
(ग) ग्राम—वणी		95/2	0.060
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.115 हेक्टर.		96/1	0.510
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	96/2	0.060
(1)	(2)	96/3	0.120
15	0.330	101	0.020
17	0.345	102	0.600
46/1/1	0.550	103/2	0.380
46/1/2	1.125	103/3	1.080
59/1	0.230		
59/2	0.320		

(1)	(2)	(1)	(2)
104	0.620	58/1	0.060
108/1	0.340	58/2	0.065
108/2	0.570	59/1	0.380
111	0.070	59/2	0.640
120	0.080	59/3	0.335
121	0.350	60	0.041
123/1	-	61	0.010
122	0.680	63/2	0.035
कुल रकबा योग . .	<u>18.115</u>	68/2	0.023
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		68/3	0.602
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		69	0.095
क्र. 338-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		73/2	0.660
		76	0.620
		78	1.410
		79/1	0.720
		79/2	0.590
		132/2	0.050
		132/3	0.365
		132/4	0.704
		132/5	0.325
		132/6	0.045
		137/6	0.040
		139/1/1	0.890
		140/1/1	-
		139/1/2	0.740
		140/1/2	-
		140/3	1.085
अनुसूची		कुल रकबा योग . .	<u>11.010</u>
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	
(क) जिला—खरगोन		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	
(ख) तहसील—महेश्वर			
(ग) ग्राम—बबलई			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.010 हेक्टर.			
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
28	0.080		
56	0.400		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 1634-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-लुंगसी ब. न.-207 प.ह.नं.-10 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा-07.201 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियों)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टनल के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बायीं तट नहर उप संभाग, क्रमांक-3, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1635-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग

करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-चंदनवाडा ब. न.-78 प.ह.नं.-11 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा-01.994 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियों)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टनल के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बायी तट नहर उप संभाग, क्रमांक-3, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1636-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-कामती ब. न.-19 प.ह.नं.-11 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा-4.362 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियों)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बायी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टनल के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बारी तट नहर उप संभाग, क्रमांक-3, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1637-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-पालहरी ब. न.-163 प.ह.नं.-42 रा.नि.मं.-चांद	रकबा-0.583 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दायी तट नहर उप संभाग, क्रमांक-1, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1638-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-भुतेरा ब. नं.-435 प.ह.नं.-31 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा-1	रकबा-11.148 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1639-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग

करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ, इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-भुतेरा ब. न.-435 प.ह.नं.-31 रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा	शासकीय भूमि मद आबादी रकबा 3.007 हेक्टेयर में बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर चबुतरा आदि प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिन्दवाड़ा. पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु शासकीय भूमि मद आबादी पर बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर, चबुतरा आदि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर, चबुतरा आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर, चबुतरा आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि पर बने आवासीय मकान, स्कूल भवन, मंदिर, चबुतरा आदि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग, सिंगना, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1640-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-बुचनई ब. न.-401 प.ह.नं.-53 रा.नि.मं.-इकलबिहरी	रकबा-2.560 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियाँ)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा. बुचनई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1641-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-पठरानाई ब. नं.-310 प.ह.नं.-38 रा.नि.मं.- इकलबिहरी	रकबा-0.709 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियों)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	बुचनई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1642-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-भाजीपानीखुर्द ब. नं.-428 प.ह.नं.-38 रा.नि.मं.- सांवरी.	रकबा-30.587 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियों)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	बुचनई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1643-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-कोडामऊ ब. नं.-78 प.ह.नं.-49 रा.नि.मं.- इकलबिहरी	रकबा-0.262 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियों)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	बुचनई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य अनुविभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1644-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-धनौरा ब. नं.-135 प.ह.नं.-02 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा-48.043 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिन्दवाड़ा।	पेंच व्यवपर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना, विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. 1645-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1)	(2)
327/1	0.193
329/1	0.156
330	0.080
335/2	0.067
334	0.121
333	0.065
335/1	0.067
337/1	0.297
101/1	0.020
101/2	0.200
101/3	0.290
102/1	0.210
103	0.150
योग . .	<u>05.039</u>

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—धनौरा गुसाई, प.ह.नं.—31, ब.नं.—279,
रा. नि. मंडल—छिन्दवाड़ा-1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—05.039
हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
212/6	0.173
212/7	0.040
212/5	0.004
212/8	0.149
210/1	0.245
210/2	0.208
209/1	0.137
206/1	0.059
205/3	0.008
122/1	0.223
120	0.200
117/2	0.070
119/1	0.096
119/2	0.135
310/1	0.717
310/2	0.096
325/1	0.081
325/2	0.245
327/3	0.133
327/2	0.104

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दायीतट मुख्य नहर से निकलने वाली उमरिया माइनर, धनौरा माइनर एवं झिलमिली-1 माइनर के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उप संभाग क्रमांक-1 सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1646-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		(1)	(2)
अनुसूची		693	0.251
		694	1.157
		699	0.024
(1) भूमि का वर्णन—		948/2	0.603
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		950	0.769
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा		295/2	0.364
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—मोहागांव, प.ह.नं.—29,		295/3	0.347
ब.नं.—490, रा. नि. मंडल—छिन्दवाड़ा-1		591	0.219
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—253.419		592	0.781
हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		674/3	0.652
		697	0.737
		698	0.105
		729	0.065
प्रस्तावित	प्रस्तावित क्षेत्रफल	30	0.060
खसरा नं.	(हेक्टर में)	802	0.061
(1)	(2)	803	0.599
4	0.040	810/1	0.323
3	0.008	848/3	0.085
5	0.061	533	0.057
6	0.075	538	1.602
8	0.750	539	0.166
9	0.155	540	0.522
10	1.980	534/1	0.156
14	0.543	536/1	0.038
15	1.198	537/1	0.537
16	0.049	542/1	0.131
18	1.878	543/1	0.162
19	1.865	534/2	0.156
779	0.713	536/2	0.039
795	0.069	537/2	0.538
805	0.854	542/2	0.132
808/2	0.687	543/2	0.162
812	0.376	535	0.028
20	0.060	574	0.080
21	0.080	686	0.757
28/2	0.075	717	0.437
781/1	0.445	718	0.684
800	0.421	703/1	0.779
804/1	0.154	677	1.381
804/3	0.729	678	0.809
28/3	0.137	679	0.575
973/5	0.393	706/1	0.207
674/2	0.571	709/2	0.262
689	0.291		
690	0.049		

(1)	(2)	(1)	(2)
710/2	0.504	672/1	0.696
545/1	0.154	660	0.688
546/1	0.441	663	0.454
751	0.729	878/1	0.565
753/1	0.085	907/1	0.422
754	0.498	908	0.227
757/5	0.061	909	0.332
772	0.142	661	0.180
773	0.563	874	0.495
775	0.024	882	1.016
545/2	0.101	662	0.571
546/2	0.210	666	0.931
753/4	0.085	732	0.801
757/3	0.061	670/1	1.861
546/4	0.040	670/2	0.121
753/2	0.081	671	0.773
769	0.142	674/1	0.615
546/3	0.150	626/1	0.462
753/3	0.085	676/1	0.731
757/4	0.061	590	0.304
548	0.300	594	0.287
565	0.539	667	0.101
572	0.340	668	0.363
573	0.160	670/3	0.862
549	1.451	740	0.429
569	0.097	596	1.416
544	0.753	624/1	0.506
550	1.658	552/1	0.141
554	0.113	757/1	0.097
555	0.583	761/2	0.166
558	0.717	552/2	0.142
551	0.324	757/2	0.096
559/1	1.384	761/1	0.162
578/1	0.684	559/2	1.416
581	0.336	578/2	0.387
624/2	0.218	562/1	1.024
624/3	0.030	564	0.543
845/3	0.267	583/1	0.510
845/6	0.267	587/1	0.450
626/2	0.229	562/2	1.036
684/4	0.251	583/2	0.513
658	0.387	585	0.466
665	1.157	587/2	0.425
659	0.506	566	0.372

(1)	(2)	(1)	(2)
570	0.032	802	0.061
575	0.979	803	0.599
576	0.162	810/1	0.323
580	0.745	848/3	0.090
584	0.526	808/1	1.619
586	0.604	721	1.505
675	0.647	725	0.089
680	0.235	734	0.121
681/1	0.101	735/1	0.381
683/1	0.208	809	1.315
702/1	0.417	791/1	0.740
676/2	0.567	791/2	0.736
676/3	0.810	792	0.813
681/2	0.101	811	0.401
683/2	0.208	793/2	0.162
702/2	0.416	793/4	0.283
676/4	1.113	796	0.036
683/3	0.803	797	0.077
684/2	0.490	798	0.809
684/3	0.615	799	0.202
736	0.146	806	1.300
738	0.490	786	0.045
743	0.395	787	0.032
685/1	0.487	788	0.413
984/1	0.603	789	0.255
685/6	0.282	778	0.664
728/9	0.729	780	1.207
737/5	0.303	785	0.295
687	1.270	790	0.125
672/2	0.331	783	0.364
673	0.364	784	0.097
688	0.745	807	0.891
691	0.097	755	1.214
695	1.485	756	0.117
706/2	0.206	765	0.429
709/1	0.263	766	0.157
710/1	0.495	767	0.166
712	0.753	768	0.372
713	0.648	760/1	0.052
720	0.725	763/1	1.562
714	0.648	764/1	0.065
719/2	1.376	760/2	0.053
719/1	0.566	763/2	1.561
731	1.145	764/2	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
749/1	0.425	733/2	1.845
793/3	0.809	733/6	1.619
749/2	0.352	739/1	2.991
793/1	0.477	739/2	2.110
794	0.227	747	1.266
752	0.656	819	0.579
758	0.040	820	0.243
759	0.348	821	0.498
762	0.514	822/1	0.364
770	0.368	816	0.336
771	0.121	823	0.708
728/1	0.949	824	0.150
733/4	0.607	828	0.526
735/5	0.145	921	0.444
737/1	0.303	922/2	0.138
685/8	0.040	976	1.076
728/8	0.729	978	0.405
730/2	0.374	822/2	0.324
685/7	0.138	829	0.162
733/1	0.174	830	0.352
733/3	0.299	845/1	0.454
733/5	0.275	845/2	0.267
722/1	0.243	845/5	0.267
722/4	0.243	845/4	0.303
728/3	0.093	845/7	0.231
728/6	0.182	848/2	0.190
735/3	0.332	851/1	0.270
737/3	0.223	851/4	0.315
685/4	0.243	915/3	0.210
722/2	0.218	915/5	0.073
722/5	0.255	915/7	0.062
723	0.121	852	1.343
728/4	0.093	859/1	0.166
728/7	0.182	851/6	0.311
735/4	0.283	851/7	0.004
737/4	0.239	851/10	0.364
685/2	0.162	853	0.174
722/3	0.218	854/1	0.105
722/6	0.332	856/2	0.705
724	0.089	920/1	0.188
728/2	0.097	854/2	0.279
728/5	0.243	856/1	0.708
735/2	0.283	857	1.501
737/2	0.324	858	0.287

(1)	(2)	(1)	(2)
859/2	0.166	887/1	0.085
860	0.170	973/8	0.174
862	0.437	895/1	0.319
940	0.324	889/1	0.668
863	0.526	917/3	1.500
864	1.283	886	0.935
871/2	0.688	897	0.696
865	1.157	934/2	0.478
866/2	0.405	967	0.619
866/1	0.817	871/1	0.570
867	0.295	973/1	0.789
869	1.250	973/11	0.364
868	0.295	973/14	0.335
870	0.935	973/15	0.160
977/1	0.890	887/6	0.085
872	0.720	887/3	0.166
933	0.044	973/10	0.344
947/2	0.409	887/2	0.085
873/2	0.196	973/7	0.170
966	0.529	889/3	0.243
965	0.598	890	0.429
873/4	0.196	894	0.255
972/1	0.890	895/3	0.061
919	0.320	973/6	0.188
934/1	1.214	896	1.197
924/2	0.635	887/4	0.166
926/13	0.303	883/4	0.311
951	0.987	883/5	0.190
969/1	0.526	889/2	0.672
875	0.040	895/2	0.316
876	0.065	917/1	0.750
878/2	0.283	915/8	0.041
881	0.332	924/3	1.275
907/2	0.202	926/11	0.182
910	0.202	926/12	0.202
873/3	0.196	927/1	0.101
883/1	0.328	927/2	0.141
883/3	0.769	928/1	0.575
883/7	0.466	928/4	0.133
879	0.206	928/6	0.061
880	1.489	928/2	0.303
906	0.429	926/2	0.121
883/2	0.737	926/6	0.057
883/6	0.190	926/8	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
926/10	0.284	361	0.575
920/2	0.188	730/1	0.374
929/1	0.113	781/2	0.583
929/3	0.207	804/2	0.817
926/3	0.162	804/4	0.398
926/5	0.053	838/2	0.744
926/7	0.162	973/4	0.393
926/9	0.284	972/2	0.405
924/4	0.303	973/3	0.809
924/5	0.704	953/2	0.214
917/2	0.830	973/2	0.930
922/1	0.405	970/3	0.536
923	0.053	971	0.316
928/3	0.176	685/3	0.243
928/5	0.133	685/5	0.162
928/7	0.061	969/4	0.263
927/3	0.041	970/2	0.376
936	0.332	963/2	0.222
941	0.348	962/1	0.137
942	0.004	969/2	0.263
935	0.514	952	0.689
949	0.405	953/1	1.550
664	0.450	944	0.300
887/5	0.085	947/1	1.615
946	0.809	626/3	0.050
973/9	0.168	968/2	1.097
973/13	0.335	963/3	0.222
939	0.077	968/1	1.093
945	0.405	973/12	0.364
931	0.789	969/3	0.527
932/2	0.061	846	0.316
929/2	0.109	851/3	0.284
930/2	0.469	851/8	0.057
964	0.772	851/9	0.324
930/1	0.543	851/11	0.750
932/1	0.664	915/1	0.210
938	0.853	915/6	0.073
107/2	1.092	915/9	0.062
861	0.534	839	1.177
175	0.081	841	0.700
884	0.348	843/1	0.809
885	0.833	843/2	0.328
160/3	1.315	843/3	0.328
164/1	0.065	844	0.567

(1)	(2)	(1)	(2)
833	0.308	289	0.265
834/1	0.368	288	0.060
855/1	0.506	295/1	0.300
891	0.348		
893	0.227		योग . . . 253.419
934/3	0.157		
834/2	0.308	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
855/2	0.445	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
934/5	0.157	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
834/3	0.308	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
855/3	0.214		
934/4	0.106		
624/1	1.100		
703/2	0.560		
782	0.142		
843/4	0.810		
845/8	0.534		
818/1	0.118		
825	0.125		
826/1	0.360		
827	1.716		
918/1	0.240		
826/2	0.008		
831/2	0.008		
835/2	0.008		
836/2	0.008		
837/2	0.008		
831/1	0.437		
840	0.822		
835/1	1.173		
918/2	0.251		
837/1	1.161		
918/4	0.240		
836/1	1.182		
308/3	0.030		
308/6	0.075		
307	0.175		
293	0.180		
294/1	0.478		
294/2	0.202		
291	0.030		
290	0.160		
851/2	0.100		
915/4	0.210		

क्र. 1647-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिहोरा बिसाला प. ह. नं. 21, ब.नं. 291 रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —4.491 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
104,106,107,108	0.210
योग . . .	0.210

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/1	0.029
4/3	0.050
8/1	0.220
5/1	0.095
16/2	0.345
16/1, 17/3	0.240
17/7	0.150
17/2	0.320
64/4	0.126
64/1	0.149
64/2, 65/1	0.052
64/8, 65/5	0.186
64/16	0.186
58/1	0.149
64/17	0.112
64/18	0.260
64/14	0.005
58/2	0.010
62/1	0.050
61/1	0.060
61/2	0.185
93/5	0.160
93/7	0.134
93/6	0.316
123/1	0.223
123/7	0.280
123/2	0.010
119/1	0.025
222/2ग	0.149
222/1	0.200
223	0.015
योग . . .	04.491

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीतट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली-2 मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीतट नहर उप संभाग क्रमांक-1 सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1648-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-उमरिया सोमजी प. ह. नं. 20,

ब. नं. 11, रा. नि. मंडल-चौरई.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीतट मुख्य नहर से निकलने वाली चीचगांव मायनर एवं झिलमिली मायनर-1 के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

	(1)	(2)
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	136/14 136/40 136/5, 136/39 135/5, 136/18, 137/5, 138/5, 139/17	0.005 0.016 0.002 0.008
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	135/6, 136/19, 137/6, 138/6, 139/18 135/7, 136/20, 137/7, 138/7, 139/19 134/31	0.058 0.074 0.012
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीतट नहर उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	134/2 134/35 133/1, 139/7 133/4, 139/13 132/1क 2, 132/1 ख/1 132/2 क 1 132/1 क 1 165/1 ख, 165/2, 166/2, 167/2 ग 129/2, 129/3 127/1 127/2 115/4 115/3 115/1 115/2 122/1	0.230 0.036 0.193 0.176 0.016 0.180 0.174 0.090 0.334 0.188 0.012 0.220 0.045 0.082 0.016
क्र. 1649-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	374/1	0.004
(ख) तहसील—चौरई	367/2 क, 367/4	0.164
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-झिलमिली, प. ह. नं. 21/39, ब. नं. 110, रा. नि. मंडल-चौरई.	373 367/1 क, 367/1 ख	0.052 0.118
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —07.682 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	367/1घ, 367/1 ड 367/1 ग 4, 367/2 ख 4 367/1 ग 3, 367/2 ख 3 367/1 ग 2, 367/2ख 2 368/1	0.038 0.004 0.112 0.060 0.156
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
1,2	0.297	0.111
5,6,7	0.140	0.055
136/4	0.010	0.113
136/6	0.016	0.111
136/22	0.045	0.111
136/44	0.082	0.145
136/12	0.034	0.126
136/7	0.008	0.360

(1)	(2)
127/2	0.170
125/2	0.048
126/1 क, 126/2 क, 129/1 क, 131/1 ख	0.661
126/1 ख, 126/2 ख	0.163
363/4, 363/5	0.346
181	0.061
183/1, 183/2	0.058
363/3	0.658
184/1	0.005
363/1 ख	0.130
363/2, 363/6	0.189
356/2	0.080
356/4	0.130
356/1	0.314
350/2	0.030
योग . .	07.682

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीतट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली मायनर -1 एवं 02 के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीतट नहर उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चीचगांव, प. ह. नं. 09, ब. नं. 89, रा. नि. मंडल चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—09.884 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
485/1, 486	0.639
730/1, 731/1	0.060
730/3, 731/3	0.422
729/1	0.190
745/6	0.025
722/1	0.010
722/4, 723/1, 724	0.310
722/3, 723/3	0.170
722/2	0.256
751	0.420
752, 753/1, 754/1	0.030
766/4	0.235
766/1	0.205
766/7	0.210
766/8	0.025
766/2	0.450
732/1क, 732/1ख	0.115
730/3, 731/3	0.137
732/2	0.167
732/3, 734/2, 735	0.268
732/5	0.200
732/6, 742	0.032
743/1	0.132
743/2	0.232
789/2, 790/1	0.248
789/3, 790/7	0.030
789/1	0.230
812/1, 2	0.045
813/1	0.180

क्र. 1650-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

(1)	(2)
813/2	0.410
813/3	0.210
814/2, 815	0.265
819/3, 820	0.050
821	0.332
822/1, 822/2, 823/4	0.140
828/1 क 1	0.210
822/3, 823/2	0.128
824/1, 824/2, 824/3,	0.256
825/1, 825/2, 825/3,	
825/4, 826/1-2,	
826/3-4	
874/1फ	0.010
874/1म	0.012
1152/11	0.002
993/1त	0.032
993/1च	0.020
1023/9, 1024/9, 1024/10,	0.562
1029/8, 1030/2, 1031/2,	
1032/2	
1023/11, 1024/12,	0.235
1024/13, 1029/10,	
1030/4, 1031/4, 1032/4	
1050/1, 1151/1	0.260
1150/2-5	0.260
1152/12	0.178
1150/3, 1150/4, 1152/7	0.238
1149/6	0.126
978	0.010
979, 1041/7	0.198
1040/1	0.067
874/1 प (म. प्र. शासन)	कच्चे मकान 16
मद आबादी.	
874/1 ग (म. प्र. शासन)	कच्चे मकान 01
मद आबादी.	

योग . . . 9.884

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली आमटा मायनर, आमटा सब मायनर, बेलखेड़ा मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1651-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-माचागोरा, प. ह. नं. 09, ब. नं. 227, रा. नि. मंडल चौरई.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—17.842 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
207/6, 208/6	0.005
211/1, 212/1	0.082
211/4, 212/4	0.020
206/1	0.031
202/1	0.028
207/5, 208/5	0.160
207/4, 208/4	0.120
202/2	0.004
211/2, 212/2	0.102

(1)	(2)	(1)	(2)
206/2	0.005	155/3, 173/1, 174/1	0.330
211/3, 212/3	0.042	422/5, 422/6	0.380
202/3	0.041	422/3	0.020
213/1, 214/1, 215/1,	0.057	464/2	0.178
216/1, 267/2		422/4	0.032
204/1, 205/1	0.090	422/10	0.020
213/2, 214/2,	0.008	464/1	0.202
215/2, 216/2		463/8, 463/9	0.162
204/2, 205/2	0.130	463/6	0.121
204/3, 205/3	0.115	422/11	0.219
204/4, 205/5	0.138	463/4	0.070
203/2	0.150	463/10	0.190
203/1	0.150	463/2	0.091
202/4	0.008	426/2	0.214
206/4	0.010	456/2	0.016
192/6	0.058	429/1, 432/2	0.008
192/2, 192/5	0.032	181/2	0.049
192/3, 192/4	0.081	194/1, 391/1ख	0.540
181/1	0.130	391/1क	0.295
184/2ख	0.186	194/2, 391/1ग	0.008
184/2च	0.174	391/1घ	0.016
184/2छ	0.036	384/4, 385/2, 386/2,	0.180
184/2ज	0.061	388/3	
179/2	0.180	384/3, 385/1, 386/1क	0.125
184/2घ	0.243	732/1	
184/2ड	0.020	391/7	0.097
184/2झ	0.348	384/5, 385/3, 386/1ग,	0.437
179/3	0.120	732/3	
182/4, 183/3	0.140	734/1, 735/10	0.008
181/2	0.158	735/7	0.020
179/1	0.008	735/13	0.121
178/4	0.065	735/4	0.016
178/11	0.130	735/5	0.297
178/9	0.100	735/6	0.004
177/25, 178/19	0.004	737/1ड, 740/1,	0.283
177/9	0.008	741/1-2	
177/4, 178/5	0.170	741/6	0.016
177/1, 178/1	0.105	741/3	0.220
177/2, 178/2	0.150	741/4	0.090
170, 171, 177/3, 178/3	0.008	742/4	0.248

(1)	(2)	(1)	(2)
742/3	0.481	829/9	0.056
761/1	0.105	829/10	0.153
761/2	0.060	829/3	0.005
761/3	0.067	829/12, 829/14	0.145
761/4	0.056	829/13	0.137
761/5	0.040	829/4	0.065
763/1	0.016	849/4	0.016
749/1, 759/1, 760/1	0.036	850/1	0.175
422/11	0.016	850/2	0.265
422/4	0.182	850/3	0.056
422/12	0.158	851/4	0.004
422/8	0.150	851/5	0.050
419/1, 420/1	0.104	854/1-2	0.205
419/2, 420/2	0.138	853/2	0.048
419/3, 420/3	0.134	योग . . .	<u>17.842</u>
419/4, 420/4	0.150		
417	0.120	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली माचागोरा मायनर, माचागोरा सब मायनर 1 एवं 2 बेलखेड़ा मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
418	0.130	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
416/1	0.291	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
416/2	0.012	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
520/1	0.024		
326/3, 328/2	0.365		
329/1	0.024		
329/3	0.380		
326/2, 327, 328/1	0.364		
350/1	0.164		
333	0.397		
350/2	0.064		
337/3, 338/3	0.040		
337/1, 338/1	0.040		
337/2, 338/2	0.004		
349/2	0.360		
348/1	0.375		
797/4	0.210		
796/3	0.275		
796/2	0.016		
802/1	0.293		
802/2	0.307		
824/2, 825/1, 826/1	0.400		
823, 824/1	0.380		

क्र. 1652-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम सिहोरामाल, प.ह.नं. 21, ब.नं. 290, रा. नि. मण्डल चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.—07.452 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1/2	0.110
1/4	0.059
5/2	0.150
5/1	0.075
6/1	0.440
7/1, 15/2	0.036
49/2	0.202
49/1	0.260
159/2	0.077
47/1	0.180
45/3, 47/2	0.180
34/2, 35, 37/3, 40/1	0.300
36/2, 40/3, 42/1, 43/2, 44	0.275
36/5, 40/8	0.085
38/1, 39/1, 40/6	0.119
39/3, 30/3	0.090
23/3	0.327
23/1क, 23/2	0.012
29/1-2, 30/1-2, 43/2	0.088
155/4	0.193
155/3	0.275
155/2, 156/2	0.172
159/1, 159/4, 160/1	0.390

159/6 159/7, 160/2	0.070
183/3, 194, 195, 196	0.446
183/4क	0.008
191/1, 192/1, 193/2, 193/3	0.070
184	0.198
185	0.008
186	0.080
179/1क, 188/1	0.324
178/1	0.513
178/2ख	0.215
178/2क	0.215
171/1	0.150
170/2	0.069
170/5	0.081
170/3	0.209
170/1	0.312
166/2	0.174
166/1	0.037
166/4	0.089
166/3	0.089

योग : 07.452

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दार्यातट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली मायनर-1 एवं झिलमिली मायनर-2 के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दार्यातट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1653-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)	(1)	(2)
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		46/2	0.060
(ख) तहसील—चौरई		47/1, 96/10	0.208
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम आमटा, प.ह.नं. 20, ब.नं. 05, रा. नि. मण्डल चौरई.		47/2	0.059
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.—6.738 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		48/1	0.160
		48/3	0.082
		69/1	0.290
		64/5, 67/5	0.300
		64/4, 67/4	0.170
		111/5	0.171
		111/2	0.156
		112/1	0.167
		112/6, 112/7	0.115
		113/2	0.180
		113/3	0.149
		164/5, 165/8, 190/10	0.141
		164/4, 165/7, 190/9	0.156
		164/3, 165/6, 190/8	0.059
		164/7, 165/10, 190/12	0.059
		164/6, 165/9, 190/11	0.059
		164/1, 165/1, 190/1	0.089
		182/1, 183/1, 184/1, 186/2	0.120
		186/8, 187/1	0.160
		190/4	0.090
		181/1, 182/2, 186/3	0.220
		182/3, 183/2	0.150
		186/13	0.104
		180/2, 186/8, 190/5	0.156
		176/1, 198/2	0.080
		176/2, 198/5	0.090
		177/3	0.060
52/3	0.112		
52/2	0.416		
52/1	0.005		
52/4क, 52/4ख	0.353		
46/1	0.005		

योग : 6.738

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीतट मुख्य नहर से निकलने वाली आमटा मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
	(1)	(2)
	66/4	0.005
	64/1, 64/2ख	0.525
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	32/5	0.275
	32/2ख	0.004
	33/4, 50	0.141
	49/1	0.208
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर-संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	49/5, 49/6	0.186
	49/4ख	0.126
		योग : 01.470

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दायीतट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1654-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम केरिया, प.ह.नं. 21, ब.नं. 30, रा. नि. मण्डल चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.—01.470 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीतट मुख्य नहर से निकलने वाली केरिया-1 मायनर एवं केरिया-2 के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना (केम्प छिन्दवाड़ा) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दायीतट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.